



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58420

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जन हित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 529/2026

विनोद कुमार

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, मनोज कुमार

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी., नीरज

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मृदुल कुमार, प्रत्यर्थी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज, प्रत्यर्थी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री नीरज और ग्राम सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव को सुना।
2. निम्नलिखित राहत के लिए वर्तमान जनहित याचिका दायर की गई है:

(1) परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या-2 से 4 को निर्देशित किया जाए कि वे प्रतिवादी संख्या-6 एवं अन्य द्वारा गाटा संख्या 1077, 1076 तथा गाटा संख्या 1071, 1075, जो भूड गढ़ी खंड बरौठ, थाना नौहझील, तहसील मांट, जनपद मथुरा में स्थित हैं तथा राजस्व अभिलेखों में क्रमशः "चक रोड" एवं "खाद गड़ढा" के रूप में सार्वजनिक उपयोग की भूमि के रूप में अंकित हैं, पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाएँ, जिससे न्याय हो सके।



(II) परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा संबंधित प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के प्रार्थना-पत्र पर इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर विचार कर निर्णय लें।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन भूखंड के प्रवेश को देखते हुए, भूखंड पर अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाना चाहिए।

4. इस न्यायालय ने राज्य-प्रत्यर्थीगण और ग्राम सभा के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस प्रकरण में निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया है। इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, अनुमंडल अधिकारी, मंत, मथुरा द्वारा भेजे गए निर्देश दिनांक 17.3.2026 को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

5. श्री मृदुल कुमार, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश के आधार पर प्रस्तुत किया कि प्लॉट संख्या 1077 पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्लॉट संख्या 1076, 1075 और 1071 के संबंध में स्थायी प्रकृति का अतिक्रमण पाया गया है और प्रत्यर्थी संख्या 6 के साथ-साथ एक सुरेश के खिलाफ दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए मामलों में से विशेष रूप से जैसा कि निर्देश में उल्लेख किया गया है, निम्नानुसार हैं:

1. वाद संख्या T202601500402797

2. वाद संख्या T202601500402796

6. राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश की प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को देने का निर्देश दिया जाता है।

7. प्रत्यर्थी संख्या 6 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 6 का प्रश्न में भूखंड पर अवैध कब्जा नहीं है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत लंबित कार्यवाही के शीघ्र निपटान के लिए समयबद्ध अवधि के भीतर उचित निर्देश जारी किया जाए।

9. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 4-तहसीलदार, मांट, मथुरा को विधि अनुसार पक्षों को शीघ्रता से सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उत्तर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत दर्ज उपरोक्त लंबित प्रकरण का निर्णय लेने का निर्देश देने के लिए वर्तमान जन हित याचिका का अन्तिम रूप से निस्तारित किया जाता है।

20 मार्च, 2026

पीएस*

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

Translated Version. Not for Legal Use.